कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/09/2025

श्री इन्द्रपाल सिहं पुत्र स्व0 श्री तारा सिहं निवासी बीनारायण गेट बाहर, सरक्यूलर रोड, भरतपुर

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 28.03.2025**

अपीलार्थी श्री इन्द्रपाल सिहं पुत्र स्व0 श्री तारा सिहं निवासी बीनारायण गेट बाहर, सरक्यूलर रोड, भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर के खिलाफ इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्रांक/कोर्ट/25/229 दिनांक 17.03.25 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार भरतपुर द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार (एल.आर.) कलक्ट्रेट भरतपुर/प्रभारी अधिकारी (भू.अभि.) से सम्बन्धित होने के कारण अपने पत्रांक एल.आर./25/1647 दिनांक 21.03.2025 से अपील का जबाब भिजवाये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रभारी अधिकारी भू0 अभि0 कलक्ट्रेट भरतपुर से पत्रांक एलआर/रिकार्ड/09/2023/2749 दिनांक 24.03.2025 से जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रभारी अधिकारी भू0 अभि0 कलक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त जबाब दिनांक 24.03.2025 का अवलोकन किया गया, रेस्पो0 द्वारा अपने जबाब में अंकित किया है कि:—

''........अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में राजस्थान ग्रुप—6 विभाग राज0 सरकार की अधिसूचना दिनांक 30.05.2023 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज0 भू0 राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 28 के अन्तर्गत राजस्व रिकॉर्ड से सम्बन्धित नकलों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया डिस्ट्रिक्ट मन्युअल और रेवेन्यू कोर्ट मेन्युअल के अनुरूप होगी। अतः प्रार्थी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन उक्त अधिसूचना से आवद्ध होने के कारण सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक / एलआर / रिकॉर्ड / आरटीआई / (09) / 23 / 2326 दिनांक 28.02.2025 से सूचित करते हुये यह लिखा गया कि प्रार्थी जिला अभिलेखागार में नियमानुसार प्रतिलिपि हेतु आवेदन प्रस्तुत कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकता है। ....''

लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब के साथ संलग्न पत्र जो कि प्रार्थी / अपीलार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना के सन्दर्भ में सूचित कर दिया गया है ।

अतः उक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी / तहसीलदार भू0 अभिलेख कलक्ट्रेट भरतपुर एवं अपीलार्थी को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब की प्रति सहित) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर